R. No. 35646/79
Regd. No. MH/By-South/Tech/47-290/MBI/2003-05
Licence No. 24 - Licensed to post without prepayment. Posted at Byculla Sorting Post Office

क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

302
सितंबर
2004

नीति

चलनिधि प्रारक्षित अनुपात बढ़ा

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए नीचे दर्शाये गये पखवाड़ों से प्रभावी करते हुए, चलनिधि प्रारक्षित अनुपात दो चरणों में, उनके निवल मांग और मीयादी देयताओं के एक प्रतिशत पाइंट का आधा बढ़ाया गयाः

शुरू होने वाला पखवाड़ा	प्रभावी सीआरआर
18 सितम्बर 2004	4.75 प्रतिशत
2 अक्तूबर 2004	5.00 प्रतिशत

अलबत्ता, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा कुल निवल मांग और मीयादी देयताओं पर बरकरार रखा जानेवाला प्रभावी चलनिधि प्रारक्षित अनुपात भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत निर्धारित किये अनुसार 3.00 प्रतिशत से कम नहीं होगा।

18 सितम्बर 2004 को शुरू होने वाले पखवाड़े से प्रभावी करते हुए चलनिधि प्रारक्षित अनुपात अपेक्षा के अन्तर्गत रिज़र्व बैंक के पास रखी जाने वाली बैंकों की पात्र नकदी जमाराशियों पर 3.5 प्रतिशत वार्षिक दर पर उन्हें ब्याज अदा किया जायेगा।

इससे पहले, सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को भारतीय बैंक अधिनियम 1934 की धारा 42(1) और 42(1ए) के परंतुक के अंतर्गत रिज़र्व बैंक के पास रखी गयी पात्र नकदी बकाया राशि पर बैंक दर से ब्याज का भुगतान किया जाता था।

बैंकों को केन्द्रीय प्रोसेसिंग सेंटर/बैक ऑफिस खोलने की अनुमति

प्रौद्योगिकी की शुरुआत किये जाने के परिणामस्वरूप आये हुए परिवर्तनों को देखते हुए तथा ग्राहक सेवा में वृद्धि करते समय परिचालनगत लागतों में कमी लाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों को इस बात की अनुमति दी जाए कि वे केन्द्रीय प्रोसेसिंग सेन्टर/बैंक ऑफिस खोलें। वे डेटा प्रोसेसिंग, दस्तावेजों का सत्यापन और प्रोसेसिंग, चेक बुक और मांग ड्राफ्ट इत्यादि जारी करना जैसे काम तथा बैंकिंग कारोबार से जुड़े ऐसे कार्यों को करने के लिए, जिनमें ग्राहकों के साथ प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होता, शाखाएं खोल सकते हैं।

रिज़र्व बैंक ऐसी शाखाओं के लिए सेवा शाखा श्रेणी के अंतर्गत लाइसेंस जारी करेगा। कोई सेवा शाखा समाशोधन और बैंकिंग गतिविधियों से संबंधित काम कर सकती है जिसके अंतर्गत प्रोसेसिंग सेंटर, बैक ऑफिस कार्य तथा बैंकिंग कारोबार से जुड़े काम शामिल होंगे। अलबत्ता, इसके अंतर्गत ग्राहकों से प्रत्यक्ष संपर्क की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अतएव, बैंक अन्य शाखाओं से प्राप्त अनुरोधों पर ऐसी सेवा शाखा खोलने के लिए आवेदन पत्र देकर लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी शाखाएं डेटा प्रोसेसिंग/कोर बैंकिंग समाधान इत्यादि का काम और/या अन्य शाखाओं से प्राप्त अनुरोधों के मामले में डेटा प्रोसेसिंग, मांग ड्राफ्ट, चेक बुक, मीयादी जमा रसीदें इत्यादि जारी करने का काम कर सकती हैं।

अलबत्ता, *सेवा शाखा* के अंतर्गत कोई काल सेंटर या फोन बैंकिंग सुविधा या कोई ऐसी सुविधा शामिल नहीं होगी जिसमें ग्राहकों के साथ प्रत्यक्ष संपर्क होता हो। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि किसी सेवा शाखा को किसी अन्य श्रेणी की बैंकिंग शाखा में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

विषय सूची

पृष्ठ

नीति

चलनिधि प्रारक्षित अनुपात बढ़ा 1
बैंकों को केन्द्रीय प्रोसेसिंग सेंटर/बैक ऑफिस खोलने की अनुमति 1
राज्य स्तरीय बैंकर समिति के अंतर्गत निर्यातकों के लिए उप-समिति 2
निवेशों का वर्गीकरण तथा मूल्यांकन 2

बैंकिंग

प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात/सांविधिक चलनिधि अनुपात के लिए माँग और मीयादी देयताओं/निवल माँग और मीयादी देयताओं की गणना 2
किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए वैयक्तिक दुर्घटना बीमा योजना 2
अनिवासी खातों में धोखाधड़ियां 3
ग्रामीण आवास ऋणों की चुकौती 3

विदेशी मुद्रा

लातिनी अमेरिकी देशों को निर्यात 3
श्रीलंकाई नागरिकों को भारतीय कपनियों में निवेश की अनुमति 3

शहरी सहकारी बैंक

रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए ऋण हानि मानदंडों में छूट दी 3
कृषि आधारभूत तथा ऋण निधियां समाप्त की गयीं 3

सूचना

अनर्जक आस्तियों की पहचान के लिए 90 दिन के मानदंड 4
एक बारगी निपटान योजना 4
31 मार्च 2004 तक निजी क्षेत्र के बैंकों (भारतीय) की अनर्जक आस्तियां 4

राज्य स्तरीय बैंकर समिति के अंतर्गत निर्यातकों के लिए उप-समिति

राज्य स्तर पर निर्यातकों की निर्यात वित्त और बैंक संबंधी अन्य मामलों से जुड़ी समस्याओं पर भविष्य में राज्य स्तरीय बैंकर समिति की एक उप-समिति द्वारा विचार किया जाएगा। इस उप-समिति में, जिसे *निर्यात संवर्धन के लिए एसएलबीसी की उप-समिति* के नाम से जाना जाएगा। सदस्य के रूप में स्थानीय निर्यातक संगठन, भारतीय स्टेट बैंक और पर्याप्त निर्यात व्यापार के काम से जुड़े दो या तीन बड़े बैंक, डीजीएफटी, कस्टम, राज्य सरकार (वाणिज्य व उद्योग विभाग तथा वित्त विभाग), आयात-निर्यात बैंक, ईसीजीसी, फेडाई और क्षेत्रीय स्तर पर भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग और बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग) होंगे।

यह उप-समिति छह महीने के अंतराल पर बैठक करेगी और आवश्यकता होने पर इससे कम समय में भी बैठक बुलाई जा सकती है। प्रत्येक राज्य में एसएलबीसी का संयोजक बैंक इस उप-समिति का संयोजक होगा और संयोजक बैंक के कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में बैठकें संपन्न होंगी। इस उप-समिति के लिए सचिवीय सहायता देने का कार्य उस बैंक के प्रधान कार्यालय के अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग/विदेशी मुद्रा विभाग द्वारा किया जाएगा जो राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठकों के आयोजन के लिए भी जिम्मेदार है। आयोजक बैंकों को सूचित किया जा रहा है कि वे 31 अक्तूबर 2004 तक पहली बैठक अवश्य आयोजित कर लें।

निर्यातकों को राज्य स्तर पर अपनी शिकायतें प्रस्तुत करने के लिए अनेक मंच उपलब्ध हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि राज्यों में कार्य कर रही राज्य-स्तरीय निर्यात संवर्धन समिति (एसएलईपीसी) को बंद कर दिया जाए।

निवेशों का वर्गीकरण तथा मूल्यांकन

बैंकों को सूचित किया गया है कि वे एचटीएम के अंतर्गत कुल निवेशों के 25 प्रतिशत की वर्तमान सीमा से अधिक निवेश कर सकते हैं, बशर्ते

(i) अतिरिक्त निवेश केवल एसएलआर प्रतिभूतियों में हों, और

(ii) एचटीएम श्रेणी में रखीं कुल एसएलआर प्रतिभूतियां पूर्ववर्ती दूसरे पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार को उनकी मांग और मीयादी देयताओं के 25 प्रतिशत से अधिक न हों।

तदनुसार, एक बारगी उपाय के रूप में, उपर्युक्त के लिए बैंक किसी भी समय फिर एक बार चालू वर्ष के दौरान एसएलआर प्रतिभूतियां एचटीएम श्रेणी में अंतरित कर सकते हैं। ऐसा अंतरण अंतरण की तारीख को अर्जन लागत/बही मूल्य/बाज़ार मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाना चाहिए तथा ऐसे अंतरण पर यदि कोई मूल्यह्रास हो तो उसके लिए पूरा प्रावधान किया जाना चाहिए।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बांडों तथा शेयरों में एसएलआरसे इतर निवेश एचटीएम के अंश के रूप में रखी, एसएलआर से इतर प्रतिभूतियां उस श्रेणी में रह सकती हैं। एसएलआर से इतर किसी नई प्रतिभूति को एचटीएम श्रेणी में शामिल करने की अनुमति नहीं है।

एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत शामिल प्रतिभूतियों पर लागू सभी अन्य विवेकपूर्ण मानदंड पहले की ही तरह लागू होंगे।

रिज़र्व बैंक को बैंकों से इस आशय के प्रतिवेदन प्राप्त हो रहे थे कि निवेशों के वर्गीकरण संबंधी वर्तमान दिशा-निर्देशों को अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियों और भारत की जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की वर्तमान स्थिति के अनुरूप लाने की दृष्टि से, बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 24 के अंतर्गत मांग और मीयादी देयताओं के 25 प्रतिशत रिज़र्व संबंधी सांविधिक अपेक्षा को बनाए रखने की अनन्य आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, उनकी समीक्षा की जानी चाहिए।

बैंकिंग

प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात/सांविधिक चलनिधि अनुपात के लिए माँग और मीयादी देयताओं/निवल माँग और मीयादी देयताओं की गणना

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया है कि वे अपनी मांग और मीयादी देयताओं/निवल मांग और मीयादी देयताओं की गणना की विशेष संवीक्षा करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी गणना इस विषय से संबंधित वर्तमान अनुदेशों के पूर्णतः अनुरूप की जा रही है। बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे अपने बैंक द्वारा मांग और मीयादी देयताओं/निवल मांग और मीयादी देयताओं की गणना की विशेष समीक्षा/संवीक्षा तुरंत करने की व्यवस्था करें। इस प्रयोजन के लिए बैंकों को उनके द्वारा इस्तेमाल किये जा रहे सॉफ्टवेयर की सक्षमता की भी जांच पड़ताल करने के लिए कहा गया है। ऐसी संवीक्षा आंतरिक या बाहरी लेखा परीक्षकों द्वारा की जा सकती है।

संवीक्षा के निष्कर्ष के आधार पर मांग और मीयादी देयताओं/निवल मांग और मीयादी देयताओं की गणना में जो भी कमियां पायी जाएं, संबंधित बैंक उनका ब्यौरा रिज़र्व बैंक पास भेजें। जिन मामलों में मांग और मीयादी देयताओं/निवल मांग और मीयादी देयताओं की गणना में कोई कमी न पायी जाए, उनमें बैंक आंतरिक/बाहरी लेखा परीक्षकों तथा बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय का प्रमाणपत्र रिज़र्व बैंक के पास भेजें कि मांग और मीयादी देयताओं/निवल मांग और मीयादी देयताओं की गणना पूर्णतः भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार की जा रही है। ऐसा प्रमाणपत्र इस परिपत्र के जारी किये जाने की तारीख से एक महीने के अंदर रिज़र्व बैंक के पास भेज दिया जाना चाहिए।

रिज़र्व बैंक द्वारा हाल ही में किए गए कुछ बैंकों के निरीक्षण के दौरान, प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात/सांविधिक चलनिधि अनुपात रखने के प्रयोजन हेतु मांग और मीयादी देयताओं/निवल मांग और मीयादी देयताओं गणना में कुछ कमियाँ पायी गयीं जिनका विवरण नीचे दिया गया है :

- विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण के निधीयन के लिए विदेशों से लिये गये ऋण की गणना अन्यों के प्रति देयताएं के बजाय भारत में बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं के रूप में करना।
- जो मदें बाहरी देयताओं के स्वरूप की हैं, उन्हें अंतर-शाखा लेखा में से ठीक तरीके से अलग-अलग न कर पाना और इस प्रकार बाहरी देयताओं को कम करके बताना।
- शीघ्रावधि उधारों को बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं और अन्यों के प्रति देयताएं में ठीक तरीके से अलग-अलग न कर पाना।
- समरूप बैंकों पर भुगतान योग्य ड्राफ्टों/ब्याज/लाभांश वारंटों के अंतर्गत देयताओं की, प्रधान कार्यालय लेखे में गलत तरीके से गणना करना, जिसके परिणामस्वरूप बाहरी देयताएं कम करके दिखायी जाती हैं ।

इसके अलावा, रिज़र्व बैंक के निरीक्षण के दौरान यह देखा गया था कि निवल मांग और मीयादी देयताओं की गणना के लिए कुछ बैंकों द्वारा प्रयोग किया जा रहा इन-हाउस सॉफ्टवेयर दोषपूर्ण था क्योंकि उसके द्वारा यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था कि जो मदें बाहरी देयताओं के स्वरूप की हैं, उन सबकी गणना मांग और मीयादी देयताओं/निवल मांग और मीयादी देयताओं के प्रयोजन हेतु की जा सके।

किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए वैयक्तिक दुर्घटना बीमा योजना

किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को निरंतर आधार पर वैयक्तिक दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान करने की अत्यावश्यकता के मद्देनजर, जनरल इन्शोरर्स (पब्लिक सेक्टर) एसोसिएशन ऑफ इंडिया (जिप्सा) ने, अंतरिम उपाय के रूप में, योजना की विस्तार से समीक्षा होने तक, मास्टर पॉलिसी को एक वर्ष की अवधि के लिए विद्यमान निबंधन/दरों और शर्तों पर नवीकृत करने की सहमति दी है।

अतएव, बैंकों को सूचित किया गया है कि वे पीएआईएस के अंतर्गत मास्टर पॉलिसी का वर्तमान शर्तों पर एक वर्ष की अवधि के लिए नवीकरण करने हेतु अपने स्तर पर कार्रवाई करें। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार इस योजना के सर्विसिंग का कार्य आंचलिक आधार पर नामित सामान्य बीमा कम्पनी द्वारा किया जाता रहेगा।

बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे सभी किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को योजना के अंतर्गत शामिल करने के लिए सभी संभव प्रयास करें। इसके लिए बैंक किसान क्रेडिट कार्ड अभियान के दौरान पीएआईएस का व्यापक प्रचार करें।

पीएआईएस से संबंधित कुछ परिचालनात्मक समस्याओं/मुद्दों के जिप्सा द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण नीचे दिये जा रहे हैं:

दावों के निपटान में विलंब

यदि दावों की प्राप्ति से 30 दिन के भीतर उनका निपटान नहीं कर दिया जाता है तो लाभार्थियों/नामितियों को बैंक दर से 2 प्रतिशत प्रति वर्ष अधिक की दर से ब्याज दिया जाएगा।

दावे अस्वीकृत करना

उक्त योजना, किसान क्रेडिट कार्ड धारक को बाहरी, हिंसक और स्पष्ट रूप से दृष्टव्य कारणों से भारत के भौगोलिक क्षेत्र के भीतर होने वाली दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थायी विकलांगता को कवर करती है। दुर्घटनावश मृत्यु/स्थायी विकलांगता (बशर्ते, बीमित व्यक्ति द्वारा किसी कानून के उल्लंघन के कारण ऐसा दुर्घटना नहीं हुई हो) में साँप के काटने के कारण हुई मृत्यु, हत्या (परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर मृतक द्वारा उकसाने के कारण हुई हत्या को छोड़कर) को भी कवर किया जाता है। तथापि, ऐसे मामलों में जहाँ दावों का निपटान न होने के विशिष्ट उदाहरण हों अथवा इस आधार पर दावों का निपटान न हुआ हो कि दुर्घटनां ग्रामीण क्षेत्र में नहीं हुई, इन्श्योरेंस कंपनी वास्तविक/योग्य मामलों को, प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर, फिर से खोलेगी/पुनर्विचार करेगी।

उम्र का मानदण्ड/उम्र का प्रमाण

यदि ऐसे विशिष्ट उदाहरण हों जहाँ इन्श्योरेन्स कंपनियों ने, पीएआईएस के तहत कवरेज के लिए, उम्र के भिन्न मानदण्ड तय किये हों (उक्त योजना के तहत 70 वर्ष के अलावा), तो उन विसंगतियों को *जिप्सा* द्वारा ठीक किया जाएगा। विनिर्धारित अधिकतम आयु सीमा, उक्त योजना में शामिल करते समय लागू होगी न कि दुर्घटना के समय की आयु के लिए।

चूंकि उम्र का प्रमाण, दावे के निपटान के लिए अनिवार्य दस्तावेज है, बैंक, उम्र का प्रमाण किसान क्रेडिट कार्ड जारी करते समय/किसान क्रेडिट कार्ड धारक के पीएआईएस में शामिल होते समय प्राप्त कर सकते हैं, राशन कार्ड भी उम्र के प्रमाण के रूप में मान्य होगा।

आपको याद होगा कि जुलाई 2001 में किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए वैयक्तिक दुर्घटना बीमा योजना शुरू की गयी थी और सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को उसे अपनाने के लिए कहा गया था। उक्त योजना के अंतर्गत मास्टर पॉलिसी तीन वर्ष के लिए वैध थी जो अब नवीकरण के लिए देय हो गयी है।

अनिवासी खातों में धोखाधड़ियां

रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि तर्कसंगत लेनदेन सरल बनाने और अनिवासी भारतीय जमाराशियों पर ऋण स्वीकृत करते समय धोखाधड़ियों को कम करने के लिए वे निम्नलिखित क्रियाविधि अपनायें:

अनिवासी जमाराशियों पर ऋण का आवेदनपत्र देश की ऐसी बैंक शाखा के माध्यम से प्रेषित किया जाए जहाँ अनिवासी जमाधारक रहा हो। यह अधिक उचित होगा यदि ऐसे अनुरोध उस बैंक शाखा के माध्यम से आएं, जहाँ संबंधित अनिवासी भारतीय के खातें हों, क्योंकि इससे उस शाखा द्वारा अपने ग्राहक को जानिये मानदंडों के संबंध में यथोचित तत्परता दिखाना/अनुपालन करना पहले से मान लिया जायेगा। आवेदनपत्र के साथ अनिवासी भारतीय के पारपत्र की प्रति भी मांगी जानी चाहिए।

ग्रामीण आवास ऋणों की चुकौती

रिजर्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि इंदिरा आवास योजना और स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण आवास वित्त योजना के अंतर्गत किसानों को मंजूर ग्रामीण आवास अग्रिमों की चुकौती सूची का निर्धारण करते समय वे यह सुनिश्चित करें कि इस तरह के अग्रिमों पर देय ब्याज/किस्त फसल के चक्र के साथ जोड़ी जाती है।

विदेशी मुद्रा

लातिनी अमेरिकी देशों को निर्यात

यह निर्णय लिया गया है कि लातिनी अमेरिकी देशों को निर्यात किये गये माल/साफ्टवेयरों के पूरे मूल्य की पोतलदान की तारीख से 360 दिन की अवधि के भीतर वसूली और वापसी की सुविधा समाप्त कर दिया जाये। यह सुविधा पहली सितम्बर 2004 से समाप्त कर दी गयी है।

तदनुसार, लातिनी देशों को पहली सितम्बर 2004 को या उसके बाद निर्यात करने वाले निर्यातकों का यह दायित्व होगा कि वे निर्यात की तारीख से छः माह की निर्धारित अवधि के भीतर पूरे निर्यात मूल्यों की वसूली कर लें।

अलबत्ता, निर्यात आय की 360 दिन की अवधि के भीतर वसूल करने की सुविधा हैसियत रखने वाले निर्यातकों तथा विनिर्माता निर्यातकों/कारोबारी निर्यातकों को, कुछेक उत्पादों के व्यापारियों को तथा 100 करोड़ रुपये (1000 मिलियन रुपये) और उससे अधिक के निर्यात करारों के लिए उपलब्ध रहेगी।

श्रीलंकाई नागरिकों को भारतीय कपनियों में निवेश की अनुमति

भारत सरकार ने भारतीय कम्पनियों में निवेश के लिए श्रीलंकाई नागरिकों पर लगाया गया प्रतिबंध हटा दिया है। तदनुसार, श्रीलंका के नागरिक अब से कुछेक शर्तों के अधीन, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश योजना के अधीन किसी भारतीय कम्पनी के शेयर तथा परिवर्तनीय डिबेंचर खरीदने के लिए पात्र होंगे।

शहरी सहकारी बैंक

रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए ऋण हानि मानदंडों में छूट दी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया था कि वे आस्ति वर्गीकरण, आय पहचान और प्रावधानीकरण के प्रयोजन के लिए 31 मार्च 2005 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से प्रभावी स्वर्ण ऋणों तथा एक लाख रुपये तक के ऋणों के लिए 90 दिवसीय ऋण हानि मानदंड लागू करें।

शहरी सहकारी बैंकों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि ये ऋण 31 मार्च 2007 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से 90 दिवसीय ऋण हानि मानदंडों द्वारा संचालित होंगे। तब तक के लिए ये ऋण अब तक की तरह 180 दिवसीय मानदंडों द्वारा संचालित होंगे।

कृषि आधारभूत तथा ऋण निधियां समाप्त की गयीं

सरकार द्वारा कृषि आधारित एवं ऋण निधि (एआइसीएफ) स्थापित करने की घोषणा जनवरी 2004 में की गई थी तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा निधि का परिचालन 17 फरवरी 2004 को किया गया था। एआइसीएफ के परिचालन में आने से ग्रामीण आधारभूत विकास निधि (आरआइडीएफ) बन्द कर दी गयी थी। निधि स्थापित करने का उद्देश्य कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियों में निवेश बढ़ाना था, आरआइडीएफ के तहत मूल रूप से शामिल की गयी विभिन्न गतिविधियों को नयी निधि में बनाए रखा गया था और अतिरिक्त गतिविधियां भी शामिल की गयी थीं। अलबत्ता, विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों से प्राप्त अभ्यावेदनों के आलोक में सरकार ने मामले की समीक्षा की और शामिल की जाने वाली गतिविधियों में कुछ संशोधन करते हुए आरआइडीएफ को 8 जुलाई 2004 को पुन: लागू किया और एआइसीएफ को समाप्त कर दिया गया था। तब से वर्ष 2004-05 के लिए आरइाइडीएफ-X परिचालित कर दी गयी है। इसकी निधि 8000 करोड़ रुपये है। विभिन्न राज्यों में ग्रामीण आधारभूत विकास से संबंधित परियोजनाओं के लिए आरआइडीएफ से निधियां दी जानी जारी रहेंगी।

आ. एन. 35646/79 बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या 24 **Regd. No. TECH/47-290/MBI-2003-05**
29 तथा 30 सितंबर 2004 को भायखला छँटनी डाक घर से प्रेषित

सूचना

अनर्जक आस्तियों की पहचान के लिए 90 दिन के मानदंड

अन्तर्राष्ट्रीय उत्कृष्ट प्रथाएं अपनाने तथा अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए रिज़र्व बैंक ने अनर्जक आस्तियों (एनपीए) की पहचान हेतु 31 मार्च 2004 से 90 दिन के अतिदेय मानदंड लागू किए हैं। तदनुसार, 31 मार्च 2004 से उन मामलों में अनर्जक आस्तियां ऋण अथवा अग्रिम होंगी जहाँ:

(क) मीयादी ऋण के संबंध में 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए ब्याज तथा/अथवा मूलधन की किस्त अतिदेय रहती है;

(ख) ओवरड्राफ्ट/नकदी ऋण के संबंध में खाता अव्यवस्थित रहता है;

(ग) खरीदे गए एवं भुनाए गए बिलों के मामले में 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए बिल अतिदेय रहता है;

(घ) दो फसल मौसम के लिए परंतु कृषि प्रयोजनों के लिए प्रदान किए गए अग्रिम के मामले में 2-1/2 वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए ब्याज तथा/अथवा मूलधन की किस्त अतिदेय होती है:

(ङ) अन्य खातों के संबंध में 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए प्राप्त की जाने वाली कोई राशि अतिदेय रहती है।

स्रोत : संसदीय प्रश्न

एक बारगी निपटान योजना

29 जनवरी 2003 को रिज़र्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों की दीर्घ-कालिक अनर्जक आस्तियों के निपटान समझौते के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किये। ये दिशानिर्देश सभी क्षेत्रों की उन सभी अनर्जक आस्तियों को समाविष्ट करते हैं जो 31 मार्च 2000 को संदिग्ध या घाटे वाली बन जाती हैं, जिनका बकाया शेष 10 करोड़ रुपये और उससे कम हो गया हो, फिर चाहे उनके कारोबार का स्वरूप कुछ भी हो। यह एक बारगी निपटान योजना बाद में आवेदनपत्रों पर प्रोसेसिंग करने के लिए 31 अक्तूबर 2004 तक बढ़ायी गयी। इस योजना की मुख्य-मुख्य विशेषताएं नीचे दी गयी हैं:

- इसमें दिनांक 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार संदिग्ध आस्ति के रूप में वर्गीकृत अनर्जक आस्ति खाते और या दिनांक 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार अवमानक के रूप में वर्गीकृत वे सभी अनर्जक आस्ति खाते शामिल होंगे जो बाद में संदिग्ध या घाटे वाले बन जाएंगे।
- इस योजना के तहत आवेदन पत्र प्राप्त करने की समयावधि 31 जुलाई 2004 तक बढ़ा दी गयी है। आवेदनपत्रों पर प्रोसेसिंग की तारीख भी 31 अक्तूबर 2004 तक बढ़ायी गयी थी।
- दिशानिर्देशों में सभी क्षेत्र शामिल होंगे फिर चाहे कारोबार का स्वरूप कुछ भी हो।
- दिशानिर्देश अभेदमूलक एवं विवेकाधिकारहीन हैं।
- इसमें वे सभी मामले शामिल होंगे, जिन पर वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के तहत बैंकों ने कार्रवाई शुरू कर दी है और साथ ही न्यायालयों/ऋण वसूली अधिकरणों/बीआईएफआर से सहमति डिक्री प्राप्त करने के अध्यधीन न्यायालयों/ऋण वसूली अधिकरणों/बीआईएफआर में लंबित मामले भी शामिल होंगे।
- दिनांक 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार संदिग्ध आस्तियों के लिए निपटान का फार्मूला उस तारीख को जब खाता प्रतिवादित अग्रिम राशि की श्रेणी में रखा गया हो या संदिग्ध आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया हो, जो भी पहले हो, के बकाया शेष का 100 प्रतिशत है।
- दिनांक 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार अवमानक आस्तियों के लिए निपटान का फार्मूला उस तारीख को, जब खाता प्रतिवादित अग्रिम राशि की श्रेणी में रखा गया हो या संदिग्ध आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया हो, जो भी पहले हो, के बकाया शेष में दिनांक 1.4.2000 से अंतिम भुगतान की तारीख तक मूल उधार दर से ब्याज जोड़कर उसका 100 प्रतिशत होगा।
- योजना में कोई भी परिवर्तन निदेशक बोर्ड के अनुमोदन से किया जाएगा।

स्रोत : संसदीय प्रश्न

31 मार्च 2004 तक निजी क्षेत्र के बैंकों (भारतीय) की अनर्जक आस्तियां

(राशि करोड़ रुपये में)

बैंक का नाम	कुल अनर्जक आस्तियां
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	
बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड	237.32
भारत ओवरसीज़ बैंक लिमिटेड	71.00
कैथलिक सीरियन बैंक लिमिटेड	175.24
सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड	167.42
डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लिमिटेड	211.61
धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड	136.55
फेडरल बैंक लिमिटेड	600.75
गणेश बैंक ऑफ कुरूंदवाड	30.29
जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड	286.51
कर्नाटक बैंक लिमिटेड	598.47
करूर वैश्य बैंक लिमिटेड	239.23
लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड	216.83
लॉर्ड कृष्ण बैंक लिमिटेड	95.29
नैनिताल बैंक लिमिटेड	9.65
रत्नाकर बैंक लिमिटेड	38.84
सांगली बैंक लिमिटेड	80.66
एसबीआइ कमर्शियल एंड इंटरनैशनल बैंक लिमिटेड	69.25
साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड	328.25
तामिलनाड मर्कंटाइल बैंक लिमिटेड	319.38
यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लिमिटेड	516.34
आइएनजी वैश्य बैंक लिमिटेड	186.60
कुल	**4615.48**
निजी क्षेत्र के नये बैंक	
बैंक ऑफ पंजाब लिमिटेड	148.30
सेंचुरियन बैंक लिमिटेड	221.41
ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लिमिटेड*	1021.02
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	324.00
आइसीआइसीआइ बैंक लिमिटेड	3047.59
आइडीबीआइ बैंक लिमिटेड	127.53
इन्डसइन्ड बैंक लिमिटेड	259.36
कोटक महिन्द्र बैंक लिमिटेड	19.96
यूटीआइ बैंक लिमिटेड	274.72
कुल	5443.89
निजी क्षेत्र के कुल बैंक	**10059.37**

* ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ विलयन

स्रोत : संसदीय प्रश्न

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अनर्जक आस्तियों के लिए कृपया क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू का अगस्त 2004 का अंक देखें।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक,** प्रेस संपर्क प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑल्को कॉर्पोरेशन**, शाह ॲण्ड नहार इंडस्ट्रिअल इस्टेट, लोअर परेल (प.), मुंबई - 400 013 में मुद्रित । **ग्राहक बनाने के इच्छुक कृपया ग्राहक शुल्क मुंबई में देय चेक/मांग ड्राफ्ट निदेशक, रिपोर्ट, समीक्षा और प्रकाशन विभाग (विक्री विभाग) आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, अमर बिल्डिंग, सर पी. एम. रोड, पो. बॉक्स सं. 1036, मुंबई 400 001 को भेजें । इंटरनेट www.cir.rbi.org.in /hindi पर भी उपलब्ध।**